

कार्यालय अर्थ नियन्त्रक

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक:- सीएसयूपी- 601 / 2026-27

दिनांक:- 17-10-2026

सेवा में,

1. कुलपति महोदय,

च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0वि0वि0
कानपुर।

2. निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग,

च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0वि0वि0
कानपुर।

विषय:- कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत वैज्ञानिको/वरिष्ठ वैज्ञानिको एवं अध्यक्ष व समन्वयक को यू0जी0सी0 वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के आदेश संख्या: सीएसयूई-283/फा0नं0-1028/2026 दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे (छायाप्रति संलग्न संलग्नक-1)।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या:-997/67-कृशिअ-19-400(06)/15 दिनांक 18.06.2019 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अर्न्तगत कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञ/अध्यक्ष/समन्वयक को आई0सी0ए0आर0 द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार नहीं माना गया है तथा निम्न व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

1. विश्वविद्यालय के अर्न्तगत कृषि विज्ञान केन्द्र तकनीकी संवर्ग का शत-प्रतिशत वित्त पोषत आई0सी0ए0आर0 द्वारा किया जाता है। निदेशक, अटारी, कानपुर के पत्रांक अटारी/डी.ई./सी.एस.ए. दिनांक 23.02.2019 में दिये गये निर्देश तथा उक्त पत्र के साथ प्रेषित आई.सी.ए.आर. के पत्रांक 1-3/2000/ए.ई.-1, दिनांक 29.03.2011 में उल्लिखित कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ का वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400/- में निर्धारित किये जाये तथा अग्रिम चयन भी उसी वेतनमान/ग्रेड पे में किया जाये।

कृषि विज्ञान केन्द्र तकनीकी संवर्ग के कार्मिक की प्रोन्नति अथवा उच्च वेतनमान/ग्रेड पे दिये जाने हेतु साक्षात्कार लेने के उपरान्त निदेशक, आई.सी.ए.आर. अटारी, कानपुर के अनुमोदन/सहमति के उपरान्त ही प्रोन्नति अथवा उच्च वेतनमान/ग्रेड पे दिया जाये, जिससे आई.सी.ए.आर. द्वारा अनुमन्य वेतन हेतु धनराशि दी जाती रहे। किसी भी दशा में कृषि विज्ञान केन्द्र के तकनीकी संवर्ग का वित्तीय भार उ0प्र0 शासन द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

2. आई.सी.ए.आर. के पत्रांक 1-3/2000/ए.ई.-1 दिनांक 29.03.2011 निहित प्राविधानों के विरुद्ध कृषि विज्ञान केन्द्र के एस.एम.एस. पद पर कार्यरत कार्मिकों को उच्च ग्रेड पे रू0 6000/7000/8000/9000 दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण कर अवगत कराया जाये।

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षक जिनका चयन उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-28(4) के चैप्टर- XIII के परिनियम-4(d) के प्राविधानों के अर्न्तगत किया गया है, वही शिक्षक 6 वें वेतन आयोग/यू.जी.सी. द्वारा अनुमन्य ग्रेड पे 6000/7000/8000/9000 आदि पाने के पात्र है।

4. कृषि विज्ञान केन्द्र के तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों को कृषि विज्ञान केन्द्र पर बनाये रखने के संबंध में आई.सी.ए.आर. तथा उ0प्र0 शासन से स्पष्ट निर्देश है, किन्तु उक्त निर्देश के बावजूद भी उन्हें विश्वविद्यालय/मुख्यालय पर तैनात किया गया है। तत्संबन्धी आदेश की प्रति तथा उत्तरदायी अधिकारी के नाम व पदनाम से भी अवगत कराया जाये (छायाप्रति संलग्न संलग्नक-2)।

शासनादेश संख्या 1014526/2021/67-कृशिअ-31-1022/54/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में महानिदेशक उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद् के ई-मेल के पत्र दिनांक 08.01.2026 में वर्णित व्यवस्था नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त पत्र में यह भी कथन किया गया है कि वित्त नियन्त्रक

ने 5400/- ग्रेड पे को अपने कर्मचारियों के स्तर से प्रमुख सचिव कृषि के संज्ञान में लाया गया, यह अभिकथन तत्थायात्मक नहीं है। इस सम्बन्ध में अर्थ नियन्त्रक कार्यालय द्वारा अधिकारिक पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव कृषि एवं अनुसंधान उओप्रो शासन को अवगत कराया गया है **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-3)**।

इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि शासन के पत्र संख्या:-3042308(1)/67-कृषिअ-25-67/1/2024 दिनांक 23.01.2025 में विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था का उल्लेख किया गया।

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर के पत्रांक-1853/27-विविध/2023-24 दिनांक 24.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के तत्कालीन कुलपति डा० दुनियाराम द्वारा वित्तीय भ्रष्टाचार करने, अवैधानिक प्रकार से राजकी कोष का विचलन करने एवं धन उगाहीकर अपात्र कार्मिकों को अनुचित लाभ देने तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों को नियम विरुद्ध CAS का लाभ स्वीकृत करने के परिणाम स्वरूप करोड़ों रूपयों का अतिरिक्त भुगतान किये जाने की जाँच कर जाँच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

2. अवगत कराना है कि आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी उक्त जाँच आख्या में तत्कालीन निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग, डा० करम हुसैन, श्री रामजीत पाल, कार्यालय अधीक्षक के साथ वे कार्मिक, जिनको CAS का अनुचित लाभ दिया गया है, को दोषी पाया गया है।

3. अतएव जाँच आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त जाँच आख्या के अनुक्रम में तत्कालीन निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग, डा० करम हुसैन, श्री रामजीत पाल, कार्यालय अधीक्षक के साथ उन समस्त कार्मिकों, जिनको CAS का अनुचित लाभ दिया गया है के विरुद्ध विभागीय/आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करे **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-4)**।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विषयगत प्रकरण में कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्मिकों को यू०जी०सी० वेतनमान तथा CAS का लाभ दिये जाने को शासन द्वारा अनुचित तथा अनियमित माना गया है तथा इस क्रम में विश्वविद्यालय को विभागीय/आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शासन की भावना के अनुरूप यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या:-18.02.2026 द्वारा मा० कृषि मंत्री उओप्रो सरकार की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 08.01.2026 के कार्यवृत्त तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.03.2021 के अनुपालन हेतु यथोचित निर्णय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

इस क्रम में शासन के पत्र संख्या-3997781/67/कृषिअ-26-1099/49/2025 दिनांक 06.04.2026 द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No.A.Extn.4/18/2019-AE.III(c-52000) (I) Dated 13.11.2025 द्वारा आईसीएआर के पूर्व पत्र संख्या F.No.A.Extn.4/18/2019-AE.III(c-52000) Dated 20th August, 2024 को स्थगित कर दिया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

दिनांक 08.01.2026 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-6 में निम्नवत् उल्लेख किया गया।

(3) अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत समस्त वैज्ञानिकों का वेतन प्रदेश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के अनुरूप ही दिया दिया जाए, तदोपरान्त चर्चा के दौरान निदेशक, अटारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त वैज्ञानिकों को आई०सी०ए०आर० की गाइडलाइन के अनुसार ग्रेड पे (6000) देने का प्राविधान है उक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शासन के उक्त पत्र दिनांक 06.04.2026 में उक्त कार्यवृत्त के अनुपालन का निर्देश प्रदान नहीं किया गया।

शासन के पत्र दिनांक 06.04.2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-3/2009 AE-I दिनांक 29.03.2011 में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर/वरिष्ठ वैज्ञानिक वेतनमान (12000-18300) का

पुनरीक्षित वेतनमान (37400-67000) G.P. 9000 का उल्लेख किया गया है। विषय वस्तु विशेषज्ञ का वेतनमान (8000-13500) का संशोधित वेतनमान (15600-39100) G.P. 5400 का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 29.03.2011 में विषय वस्तु विशेषज्ञों के वेतनमान (15600-39100) में ग्रेड वेतन 6000 का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है।

विश्वविद्यालय आदेश संख्या:-सीएसयूएच-1103/फा0नं0-500(2)/20251099 दिनांक 05.02.2025 द्वारा विषयगत प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विषयगत प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित निर्णय लिया गया जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध मण्डल के अभिमत को भी दृष्टिगत रखा गया है। इसके दृष्टिगत उक्त आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-5)**।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य विचारणीय है कि शासनादेश दिनांक 18.06.2019 में सम्पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट किये जाने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा बारंबार पूर्व में गयी अनियमित कार्यवाही की पुनरावृत्ति की जा रही है तथा संगत शासनादेशों का उसमें वर्णित व्यवस्था के अनुरूप पालन नहीं किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पत्र संख्या:-F.No.A.Extn.4/18/2019-AE.III(e-52000) (1) Dated 13.11.2025 में निम्न व्यवस्था का उल्लेख किया गया है **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-6)**।

In order to examine the contents of the letter No. A. Extn.4/18/2019-AE.III (e-52000) dated 20.08.2024, a Working Group has been constituted by the Competent Authority of the Council and in view of the same, the undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority of the Council to inform that the said letter dated 20.08.2024 issued by Indian Council of Agricultural Research is kept in abeyance until further orders of the Council.

This issues with approval of the Competent Authority of ICAR.

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी व्यवस्था को आस्थगित किये जाने का यह आशय नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित व्यवस्था जिसे शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तथा जिस व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते हुये विभागीय/आपराधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उसी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय कोष अथवा राज्य सरकार के अनुदान पर किसी प्रकार का व्यय भार के सम्भावित नहीं होने पर कोई अनियमित व्यवस्था को प्रभावी बनाना उचित नहीं है क्योंकि आई0सी0ए0आर0 नई दिल्ली द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश अद्यतन प्रदान नहीं किये गये हैं।

निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग द्वारा विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली के नोटशीट पृष्ठ संख्या 30 पर निम्नलिखित टिप्पणी अंकित की गयी:-

1. अभिलेखानुसार दिनांक 29.03.2011 के पूर्व किसी भी ट्रेनिंग एसोसिएट (प्रशिक्षण सहायक) वर्तमान पदनाम विषय वस्तु विशेषज्ञ की नियुक्ति 6000/- ग्रेड वेतन पर होना नहीं पाया गया है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या-1/2001 के आधार पर निर्धारित शैक्षिक आर्हता के आधार पर की गयी है।
3. विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों की नियुक्ति रु0 8000-13500 में की गयी थी जिसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक फा0नं0-1-3/2009 AE-I दिनांक 29.03.2011 द्वारा विषय वस्तु विशेषज्ञ पद वेतनमान (8000-13500) का पुनरीक्षण वेतनमान (15000-39100) ग्रेड पे रु0 5400/- अनुमन्य कराया गया है **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-7)**।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अभिलेखानुसार दिनांक 29.03.2011 के पूर्व किसी भी ट्रेनिंग एसोसिएट (प्रशिक्षण सहायक) वर्तमान पदनाम विषय वस्तु विशेषज्ञ की नियुक्ति 6000/- ग्रेड पे पर नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आई0सी0ए0आर0 के पत्रांक F.No.A.Extn.4/14/2018-AE-III Dated 09.03.2021 की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना असम्भव कार्य होगा।

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या:-सीएसयूएच-1396/स0प्र0/फा0नं0-553(2)/2021 दिनांक 24.02.2021 में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-8)**।

शासन के पत्र संख्या:-3997781/67/कृषिअ-26-1099/49/2025 दिनांक 06.04.2026 में यह उल्लिखित है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कथित नियमों को स्पष्ट नहीं किया गया है तथा वेतनमान देयता के सम्बन्ध में शासन के वित्त विभाग की कोई सहमति भी प्राप्त नहीं की गयी एवं विश्वविद्यालय द्वारा भी नियमों को स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त लाभ प्रदान किया जाना है **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-09)**।

इंटरनल इंस्पेक्शन/आडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15 में भी आई0सी0ए0आर0 द्वारा विभिन्न के0वी0के0 में वेतन के रूप में अधिक भुगतान किये जाने का विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है **(छायाप्रति संलग्न संलग्नक-10)**।

विषयगत प्रकरण में आदेश दिनांक 07.10.2026 में यह निर्देश प्रदान किया गया है कि आदेश का लाभ प्राप्त किये जाने के पूर्व निर्दिष्ट वैज्ञानिकों को इस आशय का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) देना होगा कि विषयगत प्रकरण में यदि मा0 न्यायालय/राज्य सरकार/आई.सी.ए.आर. द्वारा वेतन संरचना/देय लाभ के सम्बन्ध में कोई नवीन आदेश निर्गत किया जाता है तो वह उनको विधिक रूप से मान्य होगा तथा निर्दिष्ट वैज्ञानिकों द्वारा प्रकरण में कोई आवश्यक विवाद उत्पन्न नहीं किया जायेगा, के सम्बन्ध में सूच्य है कि नोटरी शपथ पत्र के आधार पर वित्तीय भुगतान की स्थिति नियमों के आलोक में औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि अर्थ नियन्त्रक कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशों के क्रम में उक्त कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा कोई भी लिखित पत्र ग्रेड वेतन 6000/- देने हेतु कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं, और न ही ग्रेड वेतन-6000/- देने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा सहमति ही प्रदान की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में भविष्य में होने वाली कथित अनियमितता के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी होगा तथा अर्थ नियन्त्रक कार्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि अर्थ नियन्त्रक कार्यालय द्वारा उक्त आदेश के क्रम में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कृषि विज्ञान केन्द्र का समस्त भुगतान आई0सी0ए0आर0 द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषण के माध्यम से किया जाता है तथा विश्वविद्यालय कोष तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान पर कोई भी व्यय भार नहीं है। परन्तु पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्मिकों को न केवल विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित कर कार्य कराया गया है तथा नान प्लान मद से उसका भुगतान भी किया गया है। वर्तमान में भी कतिपय कार्मिक जिनकी मौलिक नियुक्ति कृषि विज्ञान केन्द्र में की गयी है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन कार्मिकों को नान प्लान के पदों पर कार्य कराया जा रहा है, ऐसे कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या उत्तरदायी नहीं होगा।

आलोचित आदेश दिनांक 07.10.2026 में यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि अनुमन्य वेतन संरचना में वेतन भुगतान के परिपेक्ष्य में ही यह प्रभावी होगा अन्य किसी प्रतिगामी लाभ इत्यादि हेतु दृष्टान्त नहीं होगा, न ही प्रभावी होगा। ऐसी व्यवस्था किसी मा0 न्यायालय के आदेश से बाध्यकारी होने की स्थिति में ही की जाती है, सामान्य परिस्थितियों में यह व्यवस्था लागू नहीं होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व में भी इस तरह के कार्य किये गये हैं जिसके कारण अन्य कार्मिकों को न केवल वेतनमान देना पड़ा है, बल्कि उनके अन्य प्रतिगामी लाभ भी प्रदान किये गये हैं, जबकि उनके सेवा सम्बन्धी नियमों में उक्त व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी थी। उक्त आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों को वेतनमान अनुमन्य किये जाने के उपरान्त उसके प्रतिगामी लाभ को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किस प्रकार नियन्त्रित किया जायेगा।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-372 निम्नव्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

वित्तीय मामलों से सम्बन्धित सभी वित्तीय स्वीकृतियों तथा आदेशों को लिखित में होना चाहिए। मौखिक तथा तार आदेश गलतफहमी के लिये दायी होने के रूप में अनुचित रूप में समझा जाता है किन्तु उन

मामलो में, जहाँ ऐसे आदेश दिये जाते हैं, उन्हें उसके पश्चात् यथा-सम्भव आवश्यक रूप में लिखित में पुष्टि किया जाना चाहिये। अधिकारी, जो उच्च प्राधिकारी के मौखिक निर्देश पर कार्य करता है, उन निर्देशों का अभिवचन करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि अनियमितता कारित की जाती है। जबकि, यदि वह लिखित आदेश पर कार्य किया है, तो किसी अनियमितता के लिये उत्तरदायित्व को उस प्राधिकारी, जिसने आदेश दिया था, अन्तरित किया जायेगा (छायाप्रति संलग्न संलग्नक-11)।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मौखिक/लिखित आदेश प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी ही इस सम्बन्ध में उत्तरदायी होगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये अग्रिम यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

(संजय कुमार राय)
अर्थ नियन्त्रक

पत्रांक-तद् दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान, जी०टी० रोड कानपुर।
3. कुलसचिव, च०शे०आ० कृषि एवं प्रौ०वि०वि० कानपुर।
4. निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशक, च०शे०आ० कृषि एवं प्रौ०वि०वि० कानपुर।
5. प्रभारी विधिक प्रकोष्ठ, च०शे०आ० कृषि एवं प्रौ०वि०वि० कानपुर।
6. प्रभारी ए०के०एम०यू०, च०शे०आ० कृषि एवं प्रौ०वि०वि० कानपुर।

अर्थ नियन्त्रक